

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज

मुकाम

बनाम

सं. सन्

ख म हुकम या कार्यवाही मय इति दिखलस जज गवरीशमः मय
गनवर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए

30/3/20 पत्रावली पेश पीठाधीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है दोहरा व में में व्यक्त है। अतः पत्रावली
दिनांक 19/6/20 को पेश हो।

19/6/20 पत्रावली पेश पीठाधीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है दोहरा व में में व्यक्त है। अतः पत्रावली
दिनांक 7/8/20 को पेश हो।

7/8/20 पत्रावली पेश पीठाधीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है दोहरा व में में व्यक्त है। अतः पत्रावली
दिनांक 22/9/20 को पेश हो।

22/9/20 पत्रावली पेश पीठाधीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है दोहरा व में में व्यक्त है। अतः पत्रावली
दिनांक 12/11/20 को पेश हो।

12/11/20 पत्रावली पेश पीठाधीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है दोहरा व में में व्यक्त है। अतः पत्रावली
दिनांक 14/11/21 को पेश हो।

11/12 पत्रावली आज पेश हुई। वकील
प्राथी अनुम। वकील प्राथी को उपस्थित
हेतु एक उपनर दिया जाकर पत्रावली
दिनांक 21/1/21 को पेश हो

सहायक फेलक्टर एवं सचिव
नजिस्ट्रेट (F.I), जोधपुर

पत्रावली पेश पीठाधीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है दोहरा व में में व्यक्त है। अतः पत्रावली
दिनांक.....को पेश हो।


11/21 पत्रावली पेश हुई। प्राथी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है की
प्राथीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु कोई प्रयास
नहीं किया -भाभालय द्वारा कोई अन्तरिम आदेश
भी पारित नहीं किया गया/ दस्तगत प्रा पत्र
17/9/12 को पेश किया गया जिसके पश्चात गत
5 वर्षों से अस्थाई निषेधाज्ञा के त्वरित

तारीख
हुवन

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उपचार हेतु कोर्ट प्रयत्न प्रयास नही करना
प्रतीत होता है। प्रार्थी वकील आज भी अनुपस्थित
अतः प्रार्थी का प्रा पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
का खारेज किया जाकर पत्रावली फसल
शुमार होकर नम्बर एक से कम हो व
संलग्न मूल पत्रावली हो।

@parul



होमरक कलक्टर एवं कार्यालयक
मजिस्ट्रेट (नि), जोधपुर
दिनांक 06/03/2020

दिनांक 06/03/2020 को कोर्ट द्वारा निषेधाज्ञा
का खारेज किया जाकर पत्रावली फसल
शुमार होकर नम्बर एक से कम हो व
संलग्न मूल पत्रावली हो।